

न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, झालावाड (राज.)

पीठासीन न्यायाधीश- बरकत अली, आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं.257/2026

CIS No.177/2026

नरेश कुमार सैनी पुत्र छोटेलाल सैनी, उम्र-26 साल, निवासी महादेवपुरा, पुलिस
थानाब सवा, तहसील बांदीकुई, दौसा (राज.)प्रार्थी/अभियुक्त

ब ना म

राजस्थान राज्य.....अप्रार्थी/अभियोगी

चतुर्थ जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.10/2025, पुलिस थाना-सायबर झालावाड
अपराध अंतर्गत धारा 316(2), 316(5), 318(4), 319(2), 336(3), 61(2), 111(2)
(ii), 111(4) भा.न्या.सं. 66(C), 66(D) IT Act, सेशन प्रकरण संख्या-21/2026,
रा.राज्य बनाम रामअवतार वगैराह

उपस्थित:-

- 1-श्री राजेश गुप्ता, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
- 2- श्री नरेन्द्र तौमर, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश

दिनांक 06.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह चतुर्थ प्रार्थना-पत्र धारा 483 भा.ना.सु.सं. के
तहत प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई जाकर
दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी
गई।

2- प्रकरण के संक्षिप्त हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 08.08.2025 को साईबर
थाना झालावाड पर आम आदमी झालावाड के नाम से एक गोपनीय परिवाद इस
आशय का प्राप्त हुआ कि "प्रार्थी झालावाड जिले का निवासी है तथा प्रार्थी एक

संदिग्ध व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता है, इसका नाम आसिक है जो कि गोडिया पुलिस थाना कामखेडा का रहने वाला है, आसिक के मोबाईल नंबर 9929618733 है। आसिफ इस गांव का प्रभावशाली व्यक्ति है इसलिये प्रार्थी द्वारा अपना नाम गोपनीय रखा गया है। प्रार्थी को शक है कि आसिक द्वारा किसी सरकारी योजना में घपला किया जा रहा है जिसका पैसा इसके खाते में आता है श्रीमान से निवेदन है कि आसिक की जांच करने की कृपा करें।" उक्त परिवाद में शिकायतकर्ता का नाम पता अज्ञात परन्तु परिवाद में अंकित तथ्यों से मामला किसी साईबर आर्थिक अपराध का प्रतीत होने से जांच किया जाना आवश्यक होने पर परिवाद पार्ट-3 कमांक 06 दिनांक 08.08.2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच श्री रवि सेन कानि. 1591 के जिम्मे की जाने पर जांच प्रारंभ की गयी। जांचकर्ता श्री रवि सेन पुत्र ओमप्रकाश जाति सेन उम्र 30 साल निवासी भवानीमण्डी हाल कानि. 1591 साईबर थाना झालावाड द्वारा परिवाद की जांच की जाकर दिनांक 21.10.2025 को विस्तृत जांच रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात फर्द विश्लेषण बैंक अकाउण्ट, फोन पे स्टेटमेंट व सीडीआर विश्लेषण रिपोर्ट पृथक पृथक परिशिष्ट अनुसार सायबर थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत की कि दौराने जांच परिवाद में अंकित संदिग्ध आसिक के मोबाईल नंबर 9929618733 की कैफ आईडी प्राप्त करने पर उक्त मोबाईल नंबर का धारक आसिक अली पुत्र ईशाले खान निवासी मेवाती मोहल्ला गोडिया पोस्ट बांसखेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड होना पाया गया। इस पर उक्त मोबाईल नंबर की कॉल डिटेल तथा इस नंबर से लिंक बैंक खातों बाबत युपीआई गेटवे, फोन पे से डिटेल्स प्राप्त की तो उक्त आसिफ अली के मोबाईल नंबर 9929618733 से कुल 09 बैंक खाते स्वयं व परिजनों के नाम से खुले हुए होकर लिंक होना पाए गए। उक्त बैंक खातों के बैंक स्टेटमेंट संबंधित बैंक से प्राप्त करने पर आसिफ अली स्वयं के नाम पर खुले हुए बैंक खाता संख्या सं० 1-स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 61275490881, 02- आई.सी.आई.सी.आई. बैंक खाता संख्या 435101001730, 03-सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 5286260716, व 04- इन्डसइन्ड बैंक खाता संख्या 100200512854 तथा स्वयं की पत्नी रिजवाना बानों के नाम से 05- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 41611871232 में केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं की राशि राजकोष से जमा व निकासी होने के बड़ी मात्रा में संदिग्ध ट्रांजेक्शन पाये गये। आसिक अली के एसबीआई खाता संख्या 61275490881 में एक ही दिवस दिनांक 16.07.2024 को 10 बार

पेंशन योजनाओं की राशि 1000 व 750 रुपये राजकीय कोष कार्यालय अकलेरा से जमा होना, आईसीआईसीआई बैंक खाता संख्या 435101001730 में दिनांक 17.07.2025 को एक ही दिवस दिनांक 17.07.2025 को 11 बार पेंशन योजनाओं की राशि 1000 व 750 रुपये राजकीय कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण से जमा होना, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 5286260716 में माह सितम्बर 2024 से जनवरी 2025 की अवधि पांच माह में ही दर्जनों बार पेंशन योजनाओं की राशि 1150, 1000, 750 रुपये राजकीय कोष कार्यालय जयपुर से जमा होना, इन्डसइन्ड बैंक खाता संख्या 100200512857 में दिनांक 17.07.2025 को एक दिवस में ही 16 बार पेंशन योजनाओं की राशि 1500, 1150, 1000 रुपये राजकीय कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण से जमा होना एवं आसिक अली की पत्नी रिजवाना के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 41611871232 में दिनांक 16.07.2024 को एक दिवस में ही 10 बार 1150, 1000 रुपये राजकीय कोष कार्यालय से जमा होना तथा अन्य तिथियों में भी इस प्रकार की राशि जमा होने का रिकॉर्ड पाया गया जिससे संदिग्ध आसिक के बैंक खातों में सरकारी खजाने से भारी मात्रा में धनराशि जमा होकर उसकी निकासी होने बाबत संदिग्ध लेनदेन प्रमाणित पाया गया। इस पर संदिग्ध आसिक के मोबाईल नंबर 9929618733 की प्राप्त कॉल डिटेल का विश्लेषण करने पर उक्त आसिक अली का संपर्क संदिग्ध राजुलाल सैनी पुत्र किशोर राम सैनी निवासी डुन्डी की ढाणी बडियाल कलां जिला दौसा मोबाईल नंबर 9414691807 से होना पाया गया। इस पर उक्त राजुलाल सैनी के मोबाईल नंबर 9414691807 की सीडीआर प्राप्त विश्लेषण किया गया तो जिला झालावाड़ के मनोहरथाना व अकलेरा क्षेत्र के 01-परमानंद पुत्र पुरीलाल मीणा निवासी फोकरडा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ मोबाईल नंबर 7742133757.02. महावीर पारेता पुत्र जगदीच पारेता निवासी विन्दायका तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ मोबाईल नंबर 9799737208, 03. सुनील कुमार साहु पुत्र श्री बाबू साहु निवासी सरेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ मोबाईल नंबर 9799698996 संपर्क में होना पाये जाकर सीडीआर संदिग्ध पायी गयी। इस पर उक्त संदिग्ध चारों व्यक्तियों के मोबाईल नंबरों से लिंक बैंक खातों की फोन पे डिटेल्स प्राप्त करने पर 01. राजूलाल सैनी पुत्र किशोर राम सैनी निवासी डुन्डी की ढाणी बडियाल कलां जिला दौसा के मोबाईल नंबर 9414691807 से उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक में स्वयं के नाम का खाता संख्या 2215110010052099, एयु स्मॉल फाईनेन्स बैंक में खाता संख्या 1911216223893902 व स्वयं के

परिजन श्रीमती मनीषा सैनी के नाम से एयू बैंक का खाता संख्या 1751220913473492 लिंक होना पाये गये। उक्त तीनों बैंक खातों के स्टेटमेन्ट प्राप्त करने पर स्वयं राजूलाल के उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक खाता संख्या 2215110010052099 मे दिनांक 20.05.2024 व 21.05.2024 दो दिवस में कुल 15 बार पेंशन योजना की राशि 1000 रुपये राजकीय कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण से जमा होना, एयु स्मॉल फाईनेन्स बैंक खाता संख्या 1911216223893902 मे दिनांक 10.03.2022 को एक ही दिवस में कुल 27 बार पेंशन योजना की राशि 1000 रुपये राजकीय कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण से जमा होना, तथा राजूलाल के परिजन श्रीमती मनीषा सैनी के एयू बैंक का खाता संख्या 1751220913473492 में दिनांक 28.11.2022 को एक ही दिवस में कुल 06 बार पेंशन योजना की राशि 750 रुपये तथा अन्य तिथियों में भी इसी प्रकार सरकारी योजना की धनराशि राजकीय कोष कार्यालय से जमा होने का संदिग्ध रिकॉर्ड पाया गया। संदिग्ध 02. परमानंद मीणा के मोबाईल नंबर 7742133757 से स्वयं की पत्नी संतोषबाई मीणा पत्नी परमानंद मीणा निवासी फोकरडा तहसील अकलेरा जिला झालावाड का एसबीआई बैंक खाता संख्या 34398421309 परिजन रिकू मीणा का एसबीआई बैंक खाता संख्या 37002559554 लिंक होना पाये गये। दोनो बैंक खातों का स्टेटमेंट प्राप्त करने पर रिकू मीणा का एसबीआई बैंक खाता संख्या 37002559554 में दिनांक 14.03.2025 को एक ही दिवस में 08 बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जमा होना तथा संतोषबाई मीणा का एसबीआई बैंक खाता संख्या 34398421309 में दिनांक 10.03.2022 को एक दिवस में 50 बार पेशन योजनाओं की राशि 750 व 500 रुपये राजकीय कोष कार्यालय से जमा होना तथा अन्य तिथियों में भी इस प्रकार की राशि जमा होने का संदिग्ध रिकॉर्ड पाया गया। संदिग्ध 03. महावीर पारेता. पुत्र जगदीश पारेता निवासी बिन्दायका तहसील अकलेरा जिला झालावाड मोबाईल नंबर 9799737208 की फोन पे डिटेल्स प्राप्त करने पर उक्त मोबाईल नम्बर से स्वयं के नाम से एसबीआई बैंक खाता संख्या 20349331222 व बैंक ऑफ बडौदा खाता संख्या 32950200000554 लिंक होना पाया गया। उक्त खातों का बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त करने पर दिनांक 24.02.2025 को एक ही दिवस में 07 बार पीएम किसान निधि सरकारी योजना की राशि 2000 रुपये राजकीय कोष से जमा होना व बैंक ऑफ बडौदा खाता संख्या 32950200000554 में दिनांक 29.03.2021 व 31.03.2021 को कुल 06 बार धनराशि जमा होने का संदिग्ध

रिकॉर्ड पाया गया। संदिग्ध 04. सुनील कुमार साहु पुत्र श्री बाबू साहु निवासी सरेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड मोबाईल नंबर 9799698996 की फोन पे डिटेल्स प्राप्त करने पर उक्त मोबाईल नम्बर से स्वयं के नाम से एसबीआई बैंक खाता संख्या 33607210198, इण्डिया पोस्ट पैमेंट बैंक खाता संख्या 046110020636 तथा परिचित श्रीमती अनोखबाई पत्नी रामस्वरूप का पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 2347001700015785 लिंक होना पाये गये। इन खातों के बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करने पर स्वयं सुनील साहू के नाम एसबीआई बैंक खाता संख्या 33607210198 में दिनांक 12.09.2024 को एक दिवस में 17 बार राजकीय कोष कार्यालय से विभिन्न सरकारी योजनाओं की राशि 750,1000 व 1150 रुपये राजकीय कोष से जमा होना तथा अन्य तिथियों में भी इसी प्रकार राशि जमा होने का संदिग्ध रिकॉर्ड पाया गया। सुनील साहू के इण्डिया पोस्ट पैमेंट बैंक खाता संख्या 046110020636 में दिनांक 14.03.2025 को एक ही दिवस 08 बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जमा होना तथा परिचित श्रीमती अनोखबाई पत्नी रामस्वरूप का पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 2347001700015785 में दिनांक 07.01.2025 से 10.01.2025 तक लगातार दिवसों में विभिन्न पेंशन योजनाओं की धनराशि जमा होने के संदिग्ध ट्रांजेक्शन पाये गये। इस प्रकार परिवार में वर्णित संदिग्ध आसिक अली व उसके साथ जुड़े उक्त लोगो राजूलाल सैनी, परमानन्द मीणा, महावीर पारेता व सुनील कुमार साहू द्वारा अपने मोबाईल नम्बरों से अनेकों बैंक खाते लिंक कर, कई सारे बैंक खाते खुलवाकर विभिन्न सरकारी योजनाओं की धनराशि जमा निकासी के ट्रांजेक्शन होकर इन सरकारी योजनाओं में घपलेबाजी बाबत पूर्णतया संदिग्ध रिकॉर्ड पाया गया। सरकारी योजनाओं की इस घपलेबाजी के कृत्य में और भी लोगो के जुड़े होने तथा बड़ा नेटवर्क होने की संभावना होने पर जांचकर्ता द्वारा जिले की तहसील मनोहरथाना व अकलेरा क्षेत्र में संभावित लाभार्थी लोगों से जानकारीयां प्राप्त की गई, विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी एजेन्सीज तहसील, पटवारी, ग्राम पंचायत, ई-मित्र व वितीय संस्थानों बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि से गोपनीय जानकारीयां व सरकारी योजनाओं के पात्रता, आवेदन, क्रियान्वयन व लाभार्थियों को धनराशि हस्तान्तरण की प्रक्रियाओं. बाबत जानकारी प्राप्त करते हुए संदिग्धो बाबत तकनीकी माध्यमों से आसूचना संकलन की गई। आसूचना व डाटा संकलन से इन लोगों का संपर्क रामवतार सैनी पुत्र मूलचंद निवासी केशरीसिंहपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा मोबाईल नंबर 9414649415 से होना

पाया जाकर रामावतार सैनी ही इस घपलेबाजी का मास्टरमाइंड होकर सारे सिस्टम व प्रोसेस को ऑपरेट करना जानकारी में आया। इस पर संदिग्ध रामावतार सैनी के मोबाईल नम्बर 9414649415 की कॉल डिटेल तथा यूपीआई गेटवे फोन पे की डिटेल्स प्राप्त की गई। प्राप्त फोन पे डिटेल्स का विश्लेषण किया तो रामावतार सैनी जिला झालावाड की तहसील अकलेरा च मनोहरथाना के 01- बिहारी गोयल पुत्र मोतीलाल निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना मोबाईल नंबर 8890655092, 7665850262, 02. शिवनारायण पुत्र रायसिंह तंवर निवासी मोहनपुरा हाल कैलाश विहार कॉलोनी मनोहरथाना मोबाईल नंबर 7340101479, 03. धीरप पुत्र बनेसिंह तंवर निवासी ताजपुरिया हाल बाईपास रोड मनोहरथाना मोबाईल नंबर 6376597936, 9571891220, 04. रामबाबु तंवर पुत्र चैनसिंह निवासी तलाईबेह दांगीपुरा मोबाईल नंबर 9829905140, 05. राजु तंवर निवासी छान हाल वांगीपुरा जोहड मोबाईल नंबर 7357900260, 9981884724. 06. राजु तंवर पुत्र मोतीलाल निवासी छुवाडिया तहसील मनोहरथाना मोबाईल नंबर 9111789761 के संपर्क में होना पाया जाकर इन सभी के साथ उसके फोन पे पर संदिग्ध ट्रांजेक्शन पाये गये। इस पर इन सभी के मोबाईल नम्बरों से लिंक बैंक खातों का रेकार्ड प्राप्त किया तो 01. बिहारी गोयल पुत्र मोतीलाल निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना के मोबाईल नंबर 8890655092 से सेन्ट्रल बैंक खाता संख्या 3917873735, इण्डिया पोस्ट पैमेन्ट बैंक खाता संख्या 046110044208, एचडीएफसी बैंक खाता संख्या 50100233390127 व खाता संख्या 50200036210001, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाता संख्या 46220100615428, फीनो बैंक खाता संख्या 20304204022 लिंक होना पाये गये। जिनके पृथक पृथक बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त कर विश्लेषण करने पर बिहारी गोयल के सेन्ट्रल बैंक खाता संख्या 3917873735 में वर्ष 2023 से अब तक विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालय बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, श्री गंगानगर व जोधपुर से तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी संदिग्ध धनराशि जमा होना इण्डिया पोस्ट पैमेंट बैंक खाता संख्या 046110044208 में वर्ष 2025 में राजकीय कोष कार्यालय से संदिग्ध धनराशि जमा होना, एचडीएफसी बैंक खाता संख्या 50100233390127 में वर्ष 2024 व 2025 में राजकीय कोष कार्यालय जोधपुर, प्रतापगढ़, श्री गंगानगर, से संदिग्ध धनराशि जमा होना, एचडीएफसी बैंक के ही खाता संख्या 50200036210001 में वर्ष 2024 व 2025 में राजकीय कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण, श्री गंगानगर व जोधपुर से संदिग्ध धन राशि जमा

होना, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाता संख्या 46220100615428 में वर्ष 2024 से अब तक राजकीय कोष कार्यालय प्रतापगढ़, जोधपुर शहर, नागौर व बांसवाडा से संदिग्ध धनराशि तथा फीनो बैंक खाता संख्या 20304204022 में वर्ष 2024 व 2025 में राजकीय कोष कार्यालय बांसवाडा, जयपुर ग्रामीण, प्रतापगढ़, उदयपुर से संदिग्ध धनराशि जमा होना पाया गया संदिग्ध शिवनारायण पुत्र रायसिंह तंवर निवासी मोहनपुरा हाल कैलाश विहार कॉलोनी मनोहरथाना के मोबाईल नंबर 7340101479 से बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता संख्या 32958100024614, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 3939506430, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 38787003027, राजस्थान ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100620889, खाता संख्या 46220100608148, इण्डिया पोस्ट पैमेन्ट बैंक का खाता संख्या 046110064250, बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता संख्या 32958100038989 तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 43480454934 स्वयं व परिजनों के नाम से होकर लिंक होना पाये गये, जिनके पृथक पृथक बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त कर विश्लेषण करने पर बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता संख्या 32958100024614 में वर्ष 2024 से अब तक विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 3939506430 में वर्ष 2025 में राजकीय कोष कार्यालय जोधपुर से, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 38787003027 में वर्ष 2020 व 2025 में विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालयों से संदिग्ध धनराशि जमा होना, राजस्थान ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100620889 में वर्ष 2025 में विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालय जोधपुर से, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 38787003027 में वर्ष 2020 व 2025 में विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालयों से संदिग्ध धनराशि जमा होना, राजस्थान ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100620889 में वर्ष 2025 में विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालय जोधपुर, बुंदी से, राजस्थान ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100608148 में वर्ष 2025 में राजकीय कोष कार्यालय बांसवाडा से, इण्डिया पोस्ट पैमेन्ट बैंक का खाता संख्या 046110064250 में वर्ष 2025 में राजकीय कोष कार्यालयों तथा वर्ष 2022 से अब तक विभिन्न तिथियों में प्रधानमंत्री किसान निधि सरकारी योजना की धनराशि जमा होना, बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता संख्या 32958100038989 में वर्ष 2025 की विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण, बांसवाडा, जयपुर शहर से संदिग्ध

धनराशि एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 43480454934 में वर्ष 2025 की विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालय से संदिग्ध धनराशि जमा होना पायी गयी। संदिग्ध 03. धीरप पुत्र बनेसिंह तंवर निवासी ताजपुरिया हाल बाईपास रोड मनोहरथाना के मोबाईल नंबर 6376597936 से बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100608022, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 40540718530, एसबीआई बैंक का खाता संख्या 40511928327, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 3867722338, एचडीएफसी बैंक का खाता संख्या 50100358728397, फिनी बैंक का खाता संख्या 20156853542 स्वयं के परिजनो व अन्य परिचितो के नाम से खुलाए होकर लिंक होना पाए गए जिनका बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर विश्लेषण किया गया तो बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100608022 में वर्ष 2021 से अब तक विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालय जयपुर बांरा कोटा, जयपुर ग्रामीण व जोधपुर शहर से विभिन्न सरकारी योजनाओं, मुआवजा राशि व प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना की धन राशि जमा होना, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 40540718530 में वर्ष 2022 से अब तक तथा एसबीआई बैंक का खाता संख्या 40511928327 में वर्ष 2024-25 में अब तक राजकीय कोष से धन राशि जमा होना, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 3867722338 में वर्ष 2021 से अब तक प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना तथा विभिन्न योजनाओं की धनराशि राजकीय कोटा, जोधपुर से जमा होना, एचडीएफसी कोष कार्यालय बांरा टोक, बून्दी, अलवर, जयपुर, बैंक खाता संख्या 50100358728397 में वर्ष 2022 से अब तक राजकीय कोष कार्यालय बांरा, कोटा, टोंक बुन्दी, अलवर से विभिन्न सरकारी योजनाओं, की धन राशि जमा होना एवं फिनो बैंक खाता संख्या 20156853542 में 2022 से अब तक आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली (digaster management information system) के सरकारी पोर्टल 'डीएमआईएस से मुआवजा राशि जमा होने का संदिग्ध रिकॉर्ड पाया गया है। संदिग्ध 04. रामबाबु तंवर पुत्र चैनसिंह निवासी तलाईबेह दांगीपुरा के मोबाईल नंबर 9829905140 से बैंक ऑफ बडौदा का खाता संख्या 32950100014965, इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक का खाता संख्या 046110064007, एचडीएफसी बैंक खाता संख्या 50100335146980 इण्डिया का खाता संख्या 39261289461, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100609798, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या

3994734879, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100609799, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 39261210401, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100613087, एसबीआई बैंक का खाता संख्या 39261141865, बडोदा राजस्थान 46220100609800, 48690100006608 व खाता संख्या 46220100468178 स्वयं तथा अपने परिजन व परिचितों के नाम से खुले होकर लिंक होना पाये गये जिनके स्टेटमेन्ट प्राप्त किए गए तो रामबाबु के बैंक ऑफ बडौदा का खाता संख्या 32950100014965 में वर्ष 2023 व 2024 विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय श्रीगंगानगर, टोंक, बूंदी, अजमेर व बांसवाडा से धनराशि जमा होना, इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक का खाता संख्या 046.110064007 में वर्ष 2021 व 2022 में विभिन्न तिथियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जमा होना, एचडीएफसी बैंक खाता संख्या 50100335146980 में वर्ष 2023 व 2024 की विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय झालावाड, बांसवाडा, अजमेर, बूंदी व श्री गंगानगर से राशि जमा होना तथा वर्ष 2020 से 2022 की अवधि में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की धनराशि जमा होना, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 39261289461 में वर्ष 2024 की विभिन्न तिथियों को सरकारी योजनाओं की धनराशि जमा होना, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100609798 में वर्ष 2023 व 2024 में राजकीय कोष कार्यालय झालावाड, अजमेर व बूंदी से जमा होना तथा वर्ष 2020 से 2025 की अवधि में विभिन्न तिथियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जमा होना, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 3994734879 में वर्ष 2021 से अब तक विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय जयपुर, कोटा, बांसवाडा, अलवर, श्री गंगानगर से धनराशि जमा होना, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100609799 में वर्ष 2022 व 2024 में विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय बारां, अजमेर व बूंदी से धनराशि जमा होना तथा 2020 से 2025 की अवधि में विभिन्न तिथियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जमा होना, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 3994734879 में वर्ष 2021 से अब तक विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय जयपुर, कोटा, बांसवाडा, अलवर, श्री गंगानगर से धनराशि जमा होना, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100609799 में वर्ष 2022 व 2024 में विभिन्न तिथियों को

राजकीय कोष कार्यालय बारां, अजमेर व बूंदी से धनराशि जमा होना तथा 2020 से 2025 की अवधि में विभिन्न तिथियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जमा होना, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 39261210401 में वर्ष 2024 से अब तक विभिन्न तिथियों को सरकारी योजनाओं की धनराशि जमा होना, बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100613087 में वर्ष 2023 से अब तक विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय सचिवालय, अजमेर, बूंदी, श्रीगंगानगर, जयपुर ग्रामीण से तथा वर्ष 2021 में विभिन्न तिथियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जमा होना, एसबीआई बैंक का खाता संख्या 39261141865 में वर्ष 2024 की विभिन्न तिथियों को सरकारी योजनाओं की धनराशि जमा होना, बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाता संख्या 46220100609800, 48690100006608 व 46220100468178 में वर्ष 2019 से अब तक की अवधि में विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय बांसवाडा, अजमेर, बूंदी, अलवर, झालावाड, जयपुर, बांसवाडा व जयपुर ग्रामीण से तथा प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जमा होने का संदिग्ध रिकॉर्ड पाया गया है। संदिग्ध 05. राजू तंवर निवासी छान हाल दांगीपुरा जोहड के मोबाईल नंबर 9981884724 से स्वयं के नाम से खुला हुआ बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100625107 लिंक होना पाया गया। जिसका बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर विश्लेषण किया तो वर्ष 2001 में सो की जमा होता पाया गया। इसी प्रकार संदिग्ध 06. राजू तंवर पुत्र मोतीलाल निवासी छुंवाडिया, तहसील मनोहर के मोबाईल नंबर 9111789761 से एफडीएफसी बैंक का स्वयं नाम से खुला हुआ खाता संख्या 50100358728371 लिंक होना पाया गया जिसका बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर विश्लेषण किया गया तो उक्त बैंक खाते में 2020 से अब तक विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय बारां, टोंक, बुन्दी, अलवर, कोटा से तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जमा होना पायी गयी। उपरोक्त संदिग्ध व्यक्तियों के बैंक खातों के स्टेटमेंट, फोन पे डिटेल्स व सीडीआर का विप्लेषण करने पर यह स्पष्ट हुआ कि ये सभी लोग रामावतार सैनी पुत्र मूलचंद निवासी कसिंगपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा के अभी भी निरंतर सक्रिय संपर्क में है तथा इनके द्वारा रामावतार सैनी को बड़ी मात्रा में धनराशि नकद भी दी गई है साथ ही रामावतार सैनी के बैंक खातों में भी ट्रांसफर की गयी है। रामावतार सैनी के मोबाईल नंबर 9414649415 की यूपीआई गेटवे फोन पे डिटेल्स प्राप्त करने पर

कुल 14 बैंक खाते जिनमें 12 स्वयं के तथा 02 परिजन के नाम पर विभिन्न बैंकों में खुले होकर उक्त मोबाईल नंबर से लिंक होना पाया गया। रामावतार सैनी के मोबाईल नम्बर 9414649415 से लिंक बैंक खातों बाबत फोन पे डिटेल्स प्राप्त कर विश्लेषण किया तो पाया गया कि उपर्वर्णित संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा रामावतार सैनी के बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर भी की गयी है। विश्लेषण के मुताबिक अवधि 2024-25 में संदिग्ध 01. आसिक अली द्वारा राशि 9,80,000 रुपये, 02. राजू लाल सैनी के बैंक खातो से 4,24,000 रुपये, 03. सुनील साहू द्वारा राशि 11000 रुपये, 04. परमानंद मीणा द्वारा 50,000 रुपये, 05. बिहारी गोयल द्वारा 14,91,000 रुपये, 06. शिवनारायण तंवर द्वारा 26,900 रुपये, 07. धीरप तंवर द्वारा 2,33,000 रुपये एवं 08. राजू तंवर निवासी छान द्वारा 4,85,800 रुपये संदिग्ध रामावतार सैनी के बैंक खातों में ट्रांसफर किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि रामावतार सैनी ने इस कार्य को करने के लिए एक संगठित गिरोह बना रखा है जिसका मुख्य सरगना वह स्वयं वह स्वयं है। रामावतार व इसके एजेन्ट्स के माध्यम से भोले भाले आम नागरिक, ग्रामीण काश्तकार लोगों को झांसे में लेकर उनके बैंक खाता आधार कार्ड आदि का विवरण प्राप्त कर उन खातों को केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी व पेंशन योजनाओं तथा मुआवजा स्कीम से किसी प्रकार जोड़कर उनका अनुचित लाभ इनके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। रामावतार सैनी के प्राप्त फोन पे स्टेटमेंट का विश्लेषण करने पर उपर्वर्णित संदिग्ध व्यक्तियों के अलावा 01. रामबाबू मोबाईल नंबर 6376281218, 02. चन्द्रप्रकाश सुमन पुत्र हरिशचन्द्र निवासी इकतासा तहसील असनावर, जिला झालावाड मोबाईल नंबर 7742491734, 03. रोडुलाल पुत्र इन्दर सिंह निवासी चांदपुरा भीलान पो. कंवरिया तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड मोबाईल नंबर 6376879970 एवं 04. बिट्ठल तंवर पुत्र गंगाराम निवासी देहरीनाथ एमपी हाल छान तहसील मनोहरथाना मोबाईल नंबर 6264899744 का भी रामावतार सैनी के साथ संदिग्ध ट्रांजेक्शन व सीडीआर पाये गये। फोन पे डिटेल्स से 01. रामबाबू द्वारा राशि 75,600 रुपये, 02. चन्द्रप्रकाश सुमन द्वारा 20,68,300 रुपये, 03. रोडुलाल द्वारा 19000 रुपये एवं 05. बिट्ठल तंवर द्वारा 60000 रुपये रामावतार सैनी के विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाना पाया गया है। इस प्रकार परिवाद में अब तक की जांच, रेकार्ड पर आये साक्ष्य सी.डी.आर., यूपीआई गेटवे फोन पे डिटेल्स, संदिग्ध व्यक्तियों के बैंक खाता स्टेटमेंट, आसूचना संकलन एवं तकनीकी निगरानी व

डाटा संकलन से यह स्पष्ट हुआ कि उपरोक्त वर्णित संदिग्ध व्यक्तियों में से कई लोग राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं व क्रियाकलापों के इंटरनेट सेवा प्रदाता सिस्टम (ई-पोर्टल) तथा ई मित्र सेवाओं की जानकारी रखते हैं। संदिग्ध रामावतार सैनी इस संगठित गिरोह का सरगना एवं मास्टरमाईड है जो केन्द्र व राज्य सरकार पेंशन योजनाओं, तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आदि के लिए पात्र लाभार्थियों का दा जाने वाली पेंशन सहायता राशि बाबत संचालित इंटरनेट पोर्टल तथा आपदा प्रबंधन सूचना सिस्टम (डीएमआईएस) पोर्टल के बारे में तथा इनकी संचालन प्रक्रिया (Operating System) तथा लैण्ड सिडिंग की पूरी जानकारी रखता है और संबंधित पोर्टल सिस्टम के किन्हीं कार्यकारी व्यक्तियों के सहयोग से डाटा अपलोड व लैण्ड सिडिंग कर अपात्र लाभार्थियों को भी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु डाटा अपलोड व अप्रूव करवाता है। इस हेतु वह ई-सर्विसेज की जानकारी रखने वाले को अपने एजेण्ट्स बनाता है, फिर ये बनाये गये एजेण्ट्स गांव देहात में ऐसे व्यक्ति जो किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता नहीं रखते या अगर किसी परिवार में यदि एक सदस्य किसी योजना का लाभार्थी है तो उसी सदस्य के अन्य बैंकों में भी खाते खुलवाकर एक से अधिक बार उसी योजना का लाभ दिलाने तथा परिवार के अन्य सदस्यों को उसी योजना का लाभ दिलाने का झांसा व प्रलोभन देकर उनसे उनके बैंक खाता व पहचान दस्तावेज आधार/जनाधार आदि प्राप्त कर एकत्रित डाटा रामावतार सैनी को उपलब्ध करवाते हैं। जिन्हें रामावतार सैनी संबंधित वेल्फेयर/स्कीम पोर्टल पर फर्जी तरीके से अपलोड व अप्रूव करवाकर उन योजनाओं से फर्जी तरीके से जोड़कर बड़ी भारी मात्रा में करोड़ों रूपयों की राजकोषीय धनराशि का गबन व दुरुपयोग कर रहे हैं। इसकी ऐवज में संबंधित लाभार्थी को मिलने वाली विभिन्न योजनाओं की धनराशि का तय हुई शर्तों के मुताबिक प्रतिशत के हिसाब से भारी मात्रा में अनुचित आर्थिक लाभ रामावतार सैनी व उसके एजेण्ट्स द्वारा प्राप्त किया जा रहा है तथा सरकारी धनराशि की इस घपलेबाजी में उपरोक्त व्यक्तियों के अलावा भी बड़ी संख्या में अन्य लोगों के संलिप्त होने की पूरी-पूरी आशंका है, जिनके खिलाफ तुरन्त ही विधिक कार्यवाही किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार 1. रामवतार सैनी पुत्र मूलचंद निवासी केशरीसिंहपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा मोबाईल नंबर 9414649415 व उसके सहयोगी एजेण्ट्स 02. आसिक अली पुत्र ईशाले खान निवासी मेवाती मोहल्ला गोडिया पोस्ट बांसखेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड, 03.

राजुलाल सैनी पुत्र किशोर राम सैनी निवासी डुन्डी की ढाणी बडियाल कलां जिला दौसा मोबाईल नंबर 9414691807, 04. परमानंद मीणा पुत्र पुरीलाल मीणा निवासी फोकरडा तहसील अकलेरा जिला झालावाड मोबाईल नंबर 7742133757, 05. महावीर पारेता पुत्र जगदीश पारेता निवासी बिन्दायका तहसील अकलेरा जिला झालावाड मोबाईल नंबर 9799737208. 06. सुनील कुमार साहु पुत्र श्री बाबू साहु निवासी सरेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड मोबाईल नंबर 9799698996 07. बिहारी गोयल पुत्र मोतीलाल चमार निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना मोबाईल नंबर 8890655092, 7665850262, 08. षिवनारायण पुत्र रायसिंह तंवर निवासी मोहनपुरा हाल कैलाष विहार कॉलोनी मनोहरथाना मोबाईल नंबर 7340101479, 09. धीरप पुत्र बनेसिंह तंवर निवासी ताजपुरिया हाल बाईपास रोड मनोहरथाना मोबाईल नंबर 6376597936, 9571891220, 10. रामबाबु तंवर पुत्र चैनसिंह निवासी तलाईबेह दांगीपुरा मोबाईल नंबर 9829905140, 11. राजु तंवर निवासी छान हाल दांगीपुरा जोहड मोबाईल नंबर 7357900260, 9981884724, 12. राजु तंवर पुत्र मोतीलाल निवासी छुवाडिया तहसील मनोहरथाना मोबाईल नंबर 9111789761 13. रामबाबु मोबाईल नंबर 6376281218, 14. चन्द्रप्रकाश सुमन पुत्र हरिषचन्द्र निवासी इक्तासा तहसील असनावर, जिला झालावाड मोबाईल नंबर 7742491734, 15. रोडुलाल पुत्र इन्दर सिंह निवासी चांदपुरा भीलान पो. कंवरिया तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड मोबाईल नंबर 6376879970 एवं 16. बिट्ठल तंवर पुत्र गंगाराम मोबाईल न. 6264899744 द्वारा एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हुए सोची समझी सुनियोजित योजना के तहत षडयंत्रपूर्वक भोले भाले आम ग्रामीण देहाती व्यक्तियों को झांसा व प्रलोभन देकर इनके बैंक/पहचान दस्तावेज प्राप्त कर किसी अन्य के राजस्व अथवा पात्रता रेकार्ड के साथ जोड़कर धोखाधड़ी पूर्वक कम्प्यूटर संसाधनों / सरकारी इन्टरनेट सेवाओं का उपयोग कर पहचान बदलते हु केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी व पेंशन योजनाओं तथा प्रधानमंत्री किस सम्मान निधि योजना आदि के लिए लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता राशि बाबत संचा इन्टरनेट सेवा प्रदाता सर्विसेज पोर्टल तथा आपदा प्रबंधन सूचना सिस्टम (डीएमआईएस) पोर्टल का दुरुपयोग कर बड़े स्तर पर राजकीय कोष की करोड़ों रूपयें धनराशि हस्तांतरण से जमा नि कर दुरुपयोग किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया अपराध धारा 316(2), 316(5), 318(4), 111(2) (11) (4) बीएनएस 2023 व 66सी, 66डी आईटी एक्ट का संज्ञेय अपराध बनना पाया जाता है।

अतः परिवाद जांच रिपोर्ट मय सम्पूर्ण जांच पत्रादि के एफ.आई.आर. दर्ज कर अनुसंधान कार्य श्रीमान की सेवामें सादर प्रस्तुत है, इत्यादि । मजमून जांच रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात के मुकदमा नं0 10/2025 अपराध धारा 316(2), 316(5), 318(4), 61(2), 111(2) (11) (4) बी.एन व धारा 66 सी, 66 डी आईटी एक्ट में दर्ज कर निर्देशानुसार अनुसंधान प्रेम कुमार आरपीएस पुलिस उप अधीक्षक वृत्त भंवानीमडी द्वारा प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र पेश न्यायालय किया गया।

3- बहस जमानत प्रार्थना-पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4- विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा प्रार्थना-पत्र के अनुरूप बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी निर्दोष है, उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। अधिक समय तक अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायेगा तथा समाज में अपमानित होना पड़ेगा। प्रकरण में आरोप पत्र पेश न्यायालय किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के बाद जमानत भागने, फरार होने अथवा गवाहान को डराने-धमकाने का अंदेशा नहीं है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना करने को तत्पर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने का निवेदन किया।

5- विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध सिंडिकेट का सदस्य होते हुए संगठित अपराध किये जाने का दुष्प्रेरण, आपराधिक न्यास भंग, छल, प्रतिरूपण द्वारा छल, छल के प्रयोजन से दस्तावेजात की कूटरचना, कम्प्यूटर संसाधनों का दुरुपयोग कर दूसरे व्यक्ति का रूप धारण कर धोखाधड़ी व पहचान की चोरी करने संबंधी गंभीर अपराध के आरोप है। धोखाधड़ी व छल कर भारी मात्रा में राजकोष का गबन किया गया है। यदि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया गया तो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ व अनुसंधान प्रभावित होने का अन्देशा है। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

6- उभय पक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन करते हुए केस डायरी का अवलोकन किया गया। हालांकि पत्रावली पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना प्रकट नहीं है। किन्तु पत्रावली के अवलोकन से प्रकट

है कि प्रकरण में पुलिस द्वारा अनुसंधान से प्रार्थी/ अभियुक्त के विरुद्ध धारा 316(2), 316(5), 318(4), 319(2), 336(3), 61(2), 111(2)(ii), 111(4) भा.न्या.सं. 66(C), 66(D) IT Act का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। आरोप पत्र पत्रावली के अनुसार अभियुक्त नरेश कुमार सैनी प्रकरण के मास्टर माईण्ड अपराधी विक्रम सैनी का मुख्य सहयोगी तथा विक्रम सैनी व रामअवतार सैनी के बीच की कड़ी है। अनुसंधान से मास्टर माईण्ड अपराधी विक्रम सैनी द्वारा अपनी पहचान छिपाने के लिये अपने ऐजेन्ट्स से सीधे सम्पर्क में नहीं होकर योजनाओं से सम्बन्धित एकत्रित किया हुआ समस्त डाटा मय एकत्रित की हुई कमीशन राशि के अभियुक्त नरेश सैनी के माध्यम से संकलित करवाना पाया गया है। मुल्जिम नरेश सैनी के मोबाईल नम्बर 9887135222 से बैंक ऑफ बडोदा एसबीआई, कैनरा बैंक, यूको बैंक, आरएमजीबी, इण्डियन ऑवरसीज, फिनो बैंक, एयरटेल बैंक, इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के बैंक खाते लिंक होकर स्वयं के साथ साथ स्वयं के परिवार के सदस्यों को अपात्र होते हुए भी पीएम किसान व अन्य योजनाओं में फर्जी तरीके से जुड़वाकर अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाना पाया गया है। अभियुक्त नरेश सैनी की धारा 23(2) बी.एन.एस.एस. की सूचना पर अपराध में प्रयुक्त मोबाईल फोन बरामद किया गया है। मुल्जिम नरेश सैनी से बरामद एण्डरॉयड मोबाईल फोन किसी भारी वस्तु से तोड़कर पूरी तरह क्षतिग्रस्त किया हुआ होना पाया गया जो मुल्जिम द्वारा प्रकरण के खुलासे की जानकारी प्राप्त होते ही जानबूझकर अपराध से बचने की मंशा से साक्ष्य को नष्ट किया जाना अनुसंधान से पाया गया है। प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त रामअवतार सैनी से बरामद डिजिटल डिवाइसेज में उक्त अभियुक्त नरेश कुमार सैनी के साथ साझा किया हुआ अपराध से सम्बन्धित डिजिटल डाटा रिकवर हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त के पूर्व में जमानत के आवेदन विभिन्न तारीखों में अस्वीकार कर खारिज किये गये हैं। इनके उपरांत प्रकरण में मात्र आरोप पत्र पेश होने के अतिरिक्त कोई सारभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को द्वितीय जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7- अतः प्रार्थी/अभियुक्त नरेश कुमार सैनी की ओर से प्रस्तुत यह चतुर्थ जमानत का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस

प्रकरण में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(बरकत अली)
विशिष्ट न्यायाधीश
(एन०डी०पी०एस० प्रकरण)
झालावाड़

8- आदेश आज दिनांक 06.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(बरकत अली)
विशिष्ट न्यायाधीश
(एन०डी०पी०एस० प्रकरण)
झालावाड़

प्रमाण पत्र
आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व
समाविष्ट कर लिया गया है।
(मोहम्मद हुसैन)
स्टेनो ग्रेड-1
नोट:- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित
प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।